"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 10, शक 1933

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-19/खाद्य/2001/29.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 भाग सात, धारा 58 की उपधारा (4) एवं सहपठित धारा 18 (1), वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन्स एक्ट, 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-05-2002 में आंशिक संशोधन करते हुए, छ.ग. स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के संचालक मण्डल में निम्नानुसार संचालकों को मनोनीत करता है, अर्थात् :—

1.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	संचालक
2.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, रायपुर	संचालक
3.	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	संचालक
4.	प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	संचालक

उक्त निगम का प्रधान कार्यालय रायपुर में होगा.

Raipur, the 1st December 2011

NOTIFICATION

No. F 1-19/Food/2001/29.—In exercise of the powers conferred under section 58 sub-section (4) of the Madhya Pradesh Re-orgnization Act, 2000, read with section 18 (1) of the Warehousing Corporations Act, 1962, the State Government hereby partial amendment the notification dated 02-05-2002 and constitutes the Board of director of Chhattisgarh State Warehousing Corporation comprising following directors :—

1.	Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Food, Civil Supplies & Consumer Protection.	Director
2.	Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Finance, Raipur.	Director
3.	Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce Federation, Raipur.	Director
4.	Managing Director, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd., Raipur.	Director

The said corporation shall have its headquesters at Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.